ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION
(A Statutory Body of the Government of India)
Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi – 110070
Ph. No.: 011-29581050, 011-29581000 Website: www.aicte-india.org

PUBLIC NOTICE FOR APPROVAL PROCESS 2021-22

AICTE invites applications for approval from all the existing and new Technical Institutions for conducting Technical Programmes/ Courses **for the academic session 2021-22** in the following categories:

All applicants are requested to read carefully and thoroughly the AICTE Approval Process Hand Book 2021-22 and All India Council for Technical Education (Grant of approval for Technical Institution) Regulations, 2020& 1st Amendment Regulations, 2021which are available @ www.aicte-india.org before submitting online applications on AICTE Web Portal for the Academic Session 2021-22.

1. New Technical Institutions

Applications for "Setting up New Technical Institutions Offering Technical Programmes in Engineering and Technology/Planning/ Applied Arts and Crafts/ Design/ Hotel Management and Catering Technology/ MCA/ Management at Diploma/ Post Diploma Certificate/ Under Graduate Degree/Post Graduate Diploma/ Post Graduate Degree Levels" shall be permitted only in cases as specified in the Approval Process Handbook.

The existing Institutions offering Courses in Applied Arts and Crafts/ Design/ Vocational (Technical) Programmes / Non-Technical Institutions conducting MCA/ MBA, without the approval of AICTE and seeking approval for the first time from AICTE, shall submit an application as a new Technical Institution.

- "In compliance of the order dated 08.11.2019 passed by the Hon'ble Supreme Court of India in CA No.364/ 2005, for the existing Institutions offering Courses in Architecture Programme, approval by the Council of Architecture is mandatory but **AICTE approval is NOT required.**

- In compliance of the order dated 05.03.2020 passed by the Hon'ble Supreme Court of India in Transfer Petitions (CIVIL) No 87-101 of 2014, for the existing institutions offering courses in Pharmacy programme, approval of PCI is mandatory but **AICTE approval is NOT required.**

- State Public & Private Universities and Central Universities are also NOT required to take AICTE approval as per AICTE Act. However, some of the Universities are seeking approval of AICTE for availing the benefits of AICTE schemes/initiatives as per the prevailing policies/norms. Accordingly, interested Architecture / Pharmacy Institutions may apply to AICTE for approval, provided, they are already having valid approval of CoA /PCI on the day of application".

- The Central /State Public & Private Universities are not required to take approval of AICTE for Technical Programmes except ODL & Online Programmes / Courses. However, Universities (Category I, II & III) as well as Institutes of Eminence (IoE) are not allowed to take approval for select Technical Programmes/ Courses / Intake which is creating confusion amongst students. Therefore, interested Central /State Public & Private Universities shall have to obtain AICTE approval for ALL Technical Programmes/ Courses / Intake and NOT for selected Technical Programmes / Courses / Intake after fulfilling AICTE norms.

- As regards, Institutions Deemed to be Universities, it is mandatory to have AICTE approval from the Academic Year 2018-19 in compliance of the Hon'ble Supreme Court Order dated 03-11-2017 passed in **CA No.17869-17870 /2017**. It is found that some of the Deemed to be **Universities (including category I & II) as well as Institutes of Eminence (IoE) are yet to take AICTE a**pproval or taken approval partially for selected Technical Course(s)/ Programme(s)/ Intake. Therefore, the Deemed to be Universities who have never taken approval from AICTE are directed NOT to run any Technical Programme(s)/Course(s) without prior approval of AICTE.

Note: Application for partial approval of any Programme(s) / Course(s) / Intake at any level shall NOT be permitted. If it is noticed that a University/ Institutions Deemed to be University has taken any such partial approval, they are liable for penal action.

2. Existing Technical Institutions

- Applications from Existing Technical Institutions offering Technical Programmes in Engineering and Technology/ Planning/ Applied Arts and Crafts/ Design/ Hotel Management and Catering Technology/ MCA/ Management at Diploma/ Post Diploma Certificate/ Under Graduate Degree/ Post Graduate Diploma/ Post Graduate Degree Levels affiliated to University/ Board or Standalone Institutions for
- Extension of Approval based on Self-Disclosure
- Introduction/ Continuation of seats for Non Resident Indian(s)
- Change of Site/Location
- Conversion of Diploma Level into Degree Level and vice-versa
- To start new Programme/ Level in the existing Institutions
- Merger of Institutions under the same Trust/ Society/ Company operating in the same Campus or City
- Extension of Approval of the existing Institutions after a break in the preceding Academic Year/ Restoration of Intake
- Introduction/ Continuation of supernumerary seats for Foreign Nationals/ Overseas Citizen of India (OCI)/ Children of Indian Workers in Gulf Countries
- Conversion of Women's Institution into Co-ed Institution and vice-versa
- Increase in Intake/ Additional Course(s)
- Introduction of Integrated/Dual Degree Course
- Closure of the Institution
- Introduction/ Continuation of Fellow Program in Management
- Change in the Name of the Course(s)/ Merger of the Courses/ Reduction in Intake/ Closure of Programme(s)/Course(s)
- Change in the Name of the Institution or Affiliating University/ Board or Type of Institution (Institution(s) converted into a University)
- Change in the Minority Status of the Institution
- Change in the Name of the Bank
- Change in the Name of the Trust/ Society/Company
- Extended EoA
- Collaboration and Twinning Programme between Indian and Foreign University/ Institution in the field of Technical Education, Research and Training
- Introduction of Vocational Courses
- Applications from the existing Institutions offering Technical Programmes at Diploma/ Under Graduate Degree and affiliated to Board/ University for seeking approval for Introduction/ Continuation of Vocational Education Programme(s) leading to Diploma / Degree in Vocational Education under NSQF.

Note : Institutions Deemed to be Universities offering Technical Programme(s) approved by the Council, falling under Category-I / II (as declared by UGC) shall have to submit an application to the Council indicating the increase in Intake in the Courses/New Course(s)in Emerging / Multidisciplinary areas. The Council shall be granting approval to those Programmes/ Courses. However, such Universities shall have to update the data in AICTE Web-Portal on annual basis and comply the norms and standards as specified by AICTE from time to time.

Institutions Deemed to be Universities that have been recognized as an Institute of Eminence by the Ministry of Education, Government of India shall have to update the detail in AICTE Web Portal on annual basis and comply the Norms and Standards as specified by AICTE from time to time.

3. Courses in Open and Distance Learning and / or Online Learning Mode.

Applications from the Standalone Institutions/ Institutions Deemed to be Universities/ Universities for seeking approval for Introduction/ Continuation of Courses in Open and Distance Learning Mode and / or Online Learning Mode.

4. **Submission of online applications for the session 2021-22 shall begin on 09th March, 2021 and end on 03rd April, 2021. The last date for submission of online applications with penalty for Extension of Approval based on self-disclosure ONLY for existing Institutions is permitted up to 8th April, 2021. It may be noted that there shall be no further extension of date.**

Note: All the Institutions are requested to visit AICTE Website @ "www.aicte-india.org > Home > Quick link: Approval Process 2021-22" regularly for all General Notifications, Updated Information and Official Communications related to Approval Process 2021-22. There will not be any other individual communication to the Institutions.

AICTE is also organizing online Stakeholder's Workshops appraising the changes in Approval Process Handbook 2021-22 on 10th March, 2021 at 11:00 AM. Interested stakeholders can attend the same.

Prof. RAJIVE KUMAR
Member Secretary, AICTE

Advt. No: Approval Bureau/2021

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

(भारत सरकार का सांविधिक निकाय)

नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070

फोन : 011–29581050, 011–29581000 वेब–साईट : www.aicte-india.org

अनुमोदन प्रक्रिया वर्ष 2021–22 हेतु सार्वजनिक सूचना

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा **शैक्षणिक सत्र 2021–22 हेतु** तकनीकी कार्यक्रम/पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए सभी विद्यमान तथा नई तकनीकी संस्थाओं से अनुमोदन हेतु निम्नलिखित श्रेणियों में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

सभी आवेदकों से अनुरोध किया जाता है कि वे शैक्षणिक सत्र 2021–22 के लिए अभातशिप के वेब–पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन जमा करने से पहले अभातशिप की अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका 2021–22 तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन की मंजूरी) विनियम, 2020 एवं प्रथम संशोधन विनियम, 2021 का अत्यंत ध्यानपूर्वक तथा सम्पूर्णतः अध्ययन कर लें, जोकि अभातशिप के वेब पोर्टल : @ www.aicte-india.org पर उपलब्ध हैं।

1. नई तकनीकी संस्थाएं

''डिप्लोमा/पोस्ट डिप्लोमा प्रमाण–पत्र/स्नातकपूर्व डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिग्री स्तरों पर इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी/आयोजना/अनुप्रयुक्त कला एवं शिल्प/डिजाईन/होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी/एमसीए/प्रबंधन में तकनीकी कार्यक्रम संचालित करने के लिए नई तकनीकी संस्थाएं स्थापित करने हेतु'' **केवल अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट किए गए अनुसार मामलों में ही** आवेदनों को अनुमति दी जाएगी।

अनुप्रयुक्त कला एवं शिल्प/डिजाईन/व्यावसायिक (तकनीकी) कार्यक्रम में पाठ्यक्रम संचालित करने वाली विद्यमान संस्थाएं/गैर तकनीकी संस्थाएं जो अभातशिप के अनुमोदन के बिना/एमसीए/एमबीए संचालित कर रही हैं तथा अभातशिप से प्रथम बार अनुमोदन प्राप्त करने की इच्छुक हैं, वे संस्थाएं, नई तकनीकी संस्थाओं के रूप में आवेदन जमा करेंगी।

- "भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सीए संख्या 364/2005 के मामले में दिनांक 08.11.2019 को पारित किए गए आदेश के अनुपालन में, वास्तुकला कार्यक्रमों में पाठ्यक्रम संचालित करने वाली विद्यमान संस्थाओं को वास्तुकला परिषद् से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है परंतु **अभातशिप से अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है।**
- भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 2014 की ट्रान्सफर पेटिशन (सिविल) संख्या 87–101 के मामले में दिनांक 05.03.2020 को पारित किए गए आदेश के अनुपालन में, भेषजी कार्यक्रमों में पाठ्यक्रम संचालित करने वाली विद्यमान संस्थाओं हेतु भारतीय भेषजी परिषद् (पीसीआई) से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है परंतु **अभातशिप से अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित नहीं हैं।**
- अभातशिप अधिनियम के अनुसार राज्य सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालयों और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए भी अभातशिप से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य **नहीं** है। तथापि, कुछ विश्वविद्यालय अभातशिप की योजनाओं/पहलों का लाभ प्राप्त करने के लिए अभातशिप की विद्यमान नीतियों/मानदण्डों के अनुसार अभातशिप से अनुमोदन प्राप्त कर रहे हैं। तद्नुसार, इच्छुक वास्तुकला/भेषजी संस्थान अभातशिप के अनुमोदन के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि, आवेदन की तिथि को उनके पास वास्तुकला परिषद् (सीओए)/भारतीय भेषजी परिषद् (पीसीआई) का वैध अनुमोदन होना चाहिए"।
- केन्द्रीय/राज्य सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालयों को ओडीएल तथा ऑनलाइन कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों को छोड़कर तकनीकी कार्यक्रमों के लिए अभातशिप का अनुमोदन लेने की आवश्यकता नही है। हालांकि, विश्वविद्यालयों (श्रेणी I, II एवं III) के साथ–साथ प्रतिष्ठित संस्थानों (आई.ओ.ई.) को चुनिंदा तकनीकी कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों/प्रवेश क्षमता के लिए अनुमोदन लेने की अनुमति नहीं है क्योंकि इससे विद्यार्थियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसलिए, इच्छुक केन्द्रीय/राज्य सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालयों को अभातशिप के मानदंडों को पूरा करने के बाद सभी तकनीकी कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों/प्रवेश क्षमता के लिए अभातशिप का अनुमोदन प्राप्त करना होगा, न की चुनिंदा तकनीकी कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों/प्रवेश क्षमता हेतु।
- मानित विश्वविद्यालय संस्थाओं के संदर्भ में, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सीए संख्या 17869–17870/2017** के मामले में दिनांक 03–11–2017 को जारी किये गए आदेश के अनुपालन में मानित विश्वविद्यालयों के लिए शैक्षणिक वर्ष 2018–19 से अभातशिप से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है। यह पाया गया है कि कुछ मानित **विश्वविद्यालयों ने (श्रेणी I एवं II सहित), साथ ही कुछ प्रतिष्ठित सस्थानों (आई.ओ.ई.) ने अभी तक अभातशिप से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है अथवा कुछ चयनित तकनीकी कार्यक्रम(मों)/पाठ्यक्रम(मों)/प्रवेशक्षमता के लिए ही आंशिक अनुमोदन प्राप्त किया है।** अतः ऐसे मानित विश्वविद्यालय संस्थाएं (श्रेणी I एवं II सहित) जिन्होंने अभातशिप से अभी तक अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है उन्हें निदेश दिया जाता है कि वह अभातशिप से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना कोई भी तकनीकी कार्यक्रम(मों)/पाठ्यक्रम(मों) संचालित न करें।

टिप्पणी : किसी भी कार्यक्रम(मों)/पाठ्यक्रम(मों)/प्रवेशक्षमता के लिए आंशिक अनुमोदन हेतु आवेदनों के लिए किसी भी स्तर पर अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि यह पाया गया कि कोई विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय संस्था ऐसा किसी भी प्रकार का आंशिक अनुमोदन प्राप्त कर रहे हैं तो वे दाण्डिक कार्रवाई हेतु दायी होंगे।

2. विद्यमान तकनीकी संस्थाएं

- इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी/आयोजना/अनुप्रयुक्त कला और शिल्प/डिजाइन/होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी/एमसीए/प्रबंधन में डिप्लोमा/पोस्ट डिप्लोमा प्रमाणपत्र/स्नातक पूर्व डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिग्री स्तर पर विश्वविद्यालयों/बोर्ड से संबद्ध तकनीकी कार्यक्रम संचालित कर रही विद्यमान तकनीकी संस्थाओं से अथवा स्टैण्डअलोन संस्थाओं से निम्न के आवेदन हेतु :–
- स्व–प्रकटीकरण के आधार पर अनुमोदन का विस्तार
- अनिवासी भारतीय(यों) (एनआरआई) के लिए सीटें आरंभ करना/जारी रखना
- स्थान/स्थिति में परिवर्तन
- डिप्लोमा स्तर का डिग्री स्तर में परिवर्तन तथा इसके विपर्यय
- विद्यमान संस्थाओं में नए कार्यक्रम/स्तर को आरम्भ करना
- एक ही न्यास/सोसायटी/कंपनी द्वारा एक ही परिसर अथवा शहर में चलाई जा रही संस्थाओं का विलय करना
- विद्यमान संस्थाओं में जिन्हें पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्ष(र्षों) में रोक के उपरांत अनुमोदन का विस्तार (ईओए) जारी करना/प्रवेश–क्षमता को बहाल करना (रिस्टोरेशन)
- विदेशी राष्ट्रिक (एफ.एन.)/ओसीआई/खाड़ी देशों मे कार्यरत भारतीय कामगारों के बच्चों हेतु अधिसंख्य सीटों को आरंभ करना/जारी रखना
- महिला संस्था का सह–शिक्षण संस्था में परिवर्तन तथा इसके विपर्यय
- प्रवेश–क्षमता/अतिरिक्त पाठ्यक्रम (मों) में वृद्धि
- एकीकृत/दोहरी डिग्री पाठ्यक्रम आरम्भ करना
- संस्था को बंद करना
- प्रबंधन में अध्येता (फेलो) कार्यक्रम आरंभ करना/जारी रखना
- पाठ्यक्रम (मों) के नाम में परिवर्तन/पाठ्यक्रमों का विलय करना/प्रवेश–क्षमता में कमी/कार्यक्रम (मों)/पाठ्यक्रम (मों) को बंद करना
- संस्था अथवा संबद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय/बोर्ड के नाम में परिवर्तन अथवा संस्था(ओं) के प्रकार में परिवर्तन (संस्थान को विश्वविद्यालय में परिवर्तित करना)
- संस्था की अल्पसंख्यक स्थिति में परिवर्तन
- बैंक के नाम में परिवर्तन
- न्यास/सोसायटी/कम्पनी के नाम में परिवर्तन
- अनुमोदन में विस्तार (ईओए) को आगे बढ़ाना
- तकनीकी शिक्षा, शोध एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में भारतीय एवं विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के बीच सहयोग एवं ट्विनिंग कार्यक्रम
- व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को आरम्भ करना
- डिप्लोमा/स्नातकपूर्व डिग्री स्तर पर तकनीकी कार्यक्रम चलाने वाली तथा बोर्ड/विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त विद्यमान संस्थाओं से राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढ़ाँचा (एनएसक्यूएफ) के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा के डिप्लोमा/डिग्री कार्यक्रम(ओं) को आरंभ करने/जारी रखने हेतु अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन।

टिप्पणी : परिषद् द्वारा अनुमोदित तकनीकी कार्यक्रम संचालित करने वाली मानित विश्वविद्यालय संस्थाओं से जो श्रेणी I एवं II (जैसाकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा घोषित) के अंतर्गत आती हैं, उन्हें परिषद् को उभरते हुए/बहुविषयक विषयक्षेत्रों में पाठ्यक्रम/नए पाठ्यक्रम (मों) की प्रवेशक्षमता में वृद्धि हेतु विनिर्दिष्ट करते हुए आवेदन करना होगा। परिषद् उन कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों को अनुमोदन प्रदान करेगी। तथापि, ऐसे विश्वविद्यालयों को वार्षिक आधार पर अभातशिप के वेब–पोर्टल में डेटा को अपडेट करना ओगा और परिषद् द्वारा समय–समय पर जारी विनिर्दिष्ट मानदंडों एवं मानकों का पालन करना होगा।

ऐसी मानित विश्वविद्यालय संस्थाएं जिन्हें शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है, को वार्षिक

आधार पर परिषद् के वेबपोर्टल पर अद्यतन करना होगा तथा अभातशिप द्वारा समय–समय पर जारी निर्दिष्ट मानदंडों एवं मानकों का पालन करना होगा।

3. **मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण और/अथवा ऑनलाइन शिक्षण रीति से पाठ्यक्रम :**
   मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा रीति और/अथवा ऑनलाइन शिक्षण रीति से पाठ्यक्रम आरंभ करने/जारी रखने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने की इच्छुक, स्टैण्डअलोन संस्थानों/मानित विश्वविद्यालय संस्थाओं/विश्वविद्यालयों से आवेदन।

4. **सत्र 2021–22 के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रक्रिया दिनांक 09 मार्च, 2021 से आरंभ होगी तथा 03 अप्रैल, 2021 को बंद होगी। केवल विद्यमान संस्थाओं को स्व–प्रकटन (Self-disclosure) आधार पर अनुमोदन में विस्तार हेतु ऑनलाइन आवेदन जुर्माने सहित जमा करने के लिए दिनांक 08 अप्रैल, 2021 तक अनुमति दी जाएगी। यह नोट कर लिया जाए कि किसी भी परिस्थिति में अंतिम तिथि को नहीं बढ़ाया जाएगा।**

*टिप्पणी :– सभी संस्थाओं से अनुरोध किया जाता है कि वे सभी सामान्य अधिसूचनाओं, अद्यतन सूचना तथा अनुमोदन प्रक्रिया 2021–22 के लिए आधिकारिक संवाद के लिए नियमित आधार पर अभातशिप की वेबसाईट @ "**www.aicte-india.org >Home>Quick link: Approval Process 2021-22**" देखें। संस्थाओं के साथ व्यक्तिगत तौर पर कोई अन्य संवाद नहीं किया जाएगा।*

अभातशिप द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2021 को प्रातः 11 बजे अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका 2021–22 में हुए परिवर्तनों से अवगत कराते हुए ऑनलाइन हितधारक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इच्छुक हितधारक उस में भाग ले सकते हैं।

प्रो० राजीव कुमार
सदस्य सचिव, अभातशिप

विज्ञापन सं. : अनुमोदन ब्यूरो/2021